UPJB120013052026

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम०, हसनपुर, अमरोहा।

प्रार्थना पत्र संख्याः– 76/2026
कुलदीप कुमार बनाम अंकित आदि
धारा– 173(4) B.N.S.S.
थाना– हसनपुर, जनपद– अमरोहा।

दिनांकः– 25.05.2026

पुकार पर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी मय विद्वान अधिवक्ता न्यायालय उपस्थित आये।

प्रार्थी कुलदीप कुमार की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर पक्षकारों में समझौता होने का कथन किया गया तथा उक्त प्रार्थना पत्र की समस्त कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त किये जाने की याचना की गयी है।

सुना व पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी के द्वारा विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से स्वेच्छा से उपरोक्त वाद की समस्त कार्यवाही को समझौता होने के कथन के साथ समाप्त किये जाने की याचना की गयी है। जब प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र पर स्वयं बल देना नहीं चाहता है तो उक्त वाद को चलाने का कोई औचित्य ही नहीं बचता है। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त वाद प्रार्थी/आवेदक कुलदीप कुमार द्वारा प्रार्थना पत्र सं०– 76/2026 बल न देने के कारण उक्त वाद की समस्त कार्यवाही को समाप्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफतर हो।

(रश्मि सिंह–II)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, हसनपुर,
अमरोहा।
जे.ओ. कोड– यू.पी.4602